सरकार बनाम मनु

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्रवाई मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13/11/25	पत्रावली पेश हुई। वकील। पैरोकार सरकार अनुपस्थित। पत्रावली वास्ते प्रार्थी की तलबी हेतु आईन्दा दिनांक 08/12/2025 को पेश हो।	
08/12/25	पत्रावली पेश हुई। पैरोकार सरकार उपस्थित। पत्रावली वास्ते वादग्रस्त भूमि की वर्तमान मौका रिपोर्ट हेतु लिखा जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 13/01/2026 को पेश हो।	
13/01/26	पत्रावली पेश हुई पैरोकार सरकार उप.। तहसीलदार सेड़वा के अन्तर्गत धारा 175, 177 LR Act 1955 में वर्तमान मौका तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया जाता है। तथ्यात्मक रिपोर्ट अनुसार तहसील सेड़वा के मौजा आकल के राजस्व रेकर्ड में अंकित खसरा नं. 737/132 रकबा 0.4597 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम भूमि विभाग्वी के नाम खातेदारी दर्ज राजस्व अभिलेख है। उक्त खातेदारी भूमि के आंशिक भाग पर अप्रार्थी मनु पुत्र सुमार जाति मुसलमान ने पूर्व में कपड़ा सुखाने के लिये अड़ान व धुलाई कार्य करके उक्त खातेदारी भूमि का गैर कृषि कार्यों हेतु उपयोग किया जा रहा था। जिस पर जांच कर प्रार्थी द्वारा उक्त प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय के आदेश से प्रकरण में दिनांक 11.1.26 को पुनः मौका देखा गया। ग्राम आकल के खसरा नं. 737/132 रकबा 0.4597 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम में खातेदार श्री सवागी पत्नी मनु ~~के [illegible]~~ के नाम दर्ज है वर्तमान में उक्त भूमि पर कोई अकृषि कार्य कपड़ा धुलाई व सुखाई आदि नहीं हो रहा [illegible] को हिदायत दी गई कि वह अपनी उक्त खातेदारी [illegible] अधिकारी की अनुमति व आदेश के बिना गैर कृषि [illegible] हेतु उसका प्रयोग में नहीं लेवें। चुंकि वर्तमान में उक्त प्रकरण में अप्रार्थी की खातेदारी भूमि का किसी अकृषि कार्यों हेतु मौके पर प्रयोग या प्रयुक्त नहीं होने से अप्रार्थी के विरुद्ध दर्ज	

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.01.27 12:34:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्रवाई मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रकरण संख्या 55/21 अन्तर्गत धारा 175, 177 भू.रा. Act 1955 का न्यायालय स्तर से नियमानुसार निस्तारण करना उचित रहेगा। पत्रावली एवं मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अतः विपक्षी को निर्देश दिये जाते है कि कृषि भूमि का गैर कृषि कार्य हेतु बिना सक्षम आज्ञा के उपयोग किया जाता है तो आवेदन तहसीलदार सेड़वा द्वारा पुनः पेश किया जा सकता है जिस पर सख्त कार्यवाही की जायेगी। इस पत्रावली को इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो संख्या से कम हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.01.27 12:34:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner